

दिनांक 26/4/17

सूचना अधिकारी के

एन सूचना अधिकारी
छावनी पौर पंच
आगरा

सूचना अधिकारी	MM
OS	1
DI	27 APR 2017
DIARY No.	4802
UD	

कृपया मुझे एन सूचना अधिकारी से यह
बताने की कठिनाई कि छावनी के चोरन अर्थात
रेसिडेंट का ठेका छावनी Act 2006 की
द्वारा से ट्रेड मार्केटिंग लेने को प्रत्यक्ष
जकारा केन्द्रीनेट Act 2006 की द्वारा 277 के
अन्तर्गत Trade मार्केटिंग लेने को प्रत्यक्ष नष्ट
है।

पतुमुज सागर
H. J. S

शेअर - 10 रुपये को पोस्टल माडरे


पतुमुज सागर

की 28 राजनगर फंडा 1

मो 98370 38370

Sr V.P. Singh
Pb report

21/5/17



सत्यमेव जयते

छावनी परिषद आगरा



रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार



कार्यालय : 114, Fatehpur Sikri Road, Agra Cantt.-282001 (Tele: 0562-2227379, 2227275 & Fax : 2227380)

ईमेल : ceongra@yahoo.com & वेबसाइट : www.chagra.org.in

पत्र संख्या : सं०-68/आर.टी.आई-132/सी.बी.ए./2017/1075

दिनांक 29 मई, 2017


सेवा में,

श्री चतुर्भुज सागर
निवासी-बी-28, ताज नगरी,
फेस 01, आगरा।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत डायरी संख्या- 4802 दिनांक 27.04.2017 व आवेदन संख्या : 132 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भित पत्र दिनांक 27.04.2017 में आपके द्वारा जो सूचना माँगी गयी है। इस सम्बन्ध में छावनी अधिनियम 2006 की धारा 277 में प्रावधान दिया गया है कि छावनी क्षेत्र में व्यवसाय गतिविधि के सम्बन्ध में ट्रेड लाईसेंस देय है। ट्रेड लाईसेंस जारी करने से पूर्व सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति को नियमानुसार लाईसेंस फीस व मेडिकल फीस जमा कराना आवश्यक है।

सूचनार्थ पावती प्रेषित है।


केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
छावनी परिषद, आगरा
(डा० अशोक कुमार शर्मा)